


13⁴/₂₂

पत्रावली प्राप्त की कहील वरि कतुव।
न्यायालय के अप सुकाले जाने पर नाले
वरी नाली कहील वरि न्यायालय के लक्ष
उपोनजात नरी। कतः वरि कदम दाखिली कदम
पैछी मे खाति किफ आता है पत्रावली
नियमानुसार दाखिल दफतर होरा  कद ले
कर हो।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनामद